राजस्थान विश्वविद्यालय,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302004

क्रमांक: शैक्षणिक–द्वितीय/2020/ दिनांक: 14/03/20

अधिसूचना

विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना संक्रमण को महामारी घोषित करने तथा केन्द्र सरकार की ओर से जारी की गई एडवाइजरी के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कोरोना वायरस के संक्रमण में बचाव के लिए ऐहतियात के तौर पर प्रदेश में सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, जिम, सिनेमाघर एवं थियेटर आदि को 30 मार्च, 2020 तक बन्द रखने के निर्देश दिये हैं।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय के उपरोक्त निर्देशों की अनुपालना बाबत् उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के निर्देशानुसार राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ने भी तुरन्त प्रभाव से निम्न निर्णय लिये हैं जिनकी कठोरता से पालना सुनिश्चित करें:–

1. राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के समस्त संघटक महाविद्यालयों, संकायों, विभागों व केन्द्रों में 30 मार्च, 2020 तक शिक्षण कार्य बन्द रहेगा।
2. राजस्थान विश्वविद्यालय के अधीन आने वाले समस्त संबद्ध महाविद्यालयों में भी 30 मार्च, 2020 तक शिक्षण कार्य बन्द रहेगा।
3. विश्वविद्यालय की परीक्षायें पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार यथावत रहेंगी।
4. विश्वविद्यालय के समस्त शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ यथावत ड्यूटी पर उपस्थित रहकर कार्य करेंगे।
5. सभी प्रकार की सेमीनार, वर्कशॉप्स, कान्फ्रेंसेस, विशेष व्याख्यान दिनांक 30 मार्च,2020 तक स्थगित रहेंगे। महाविद्यालय/विभागों में किसी भी प्रकार के उत्सव में छात्र/छात्रायें इकट्ठे नहीं होंगे।
6. सभी गेस्ट फेकल्टीज को 30 मार्च, 2020 तक सम्बन्धित महाविद्यालय/संकाय/विभाग/केन्द्र में अध्यापन कराने नहीं आना है।
7. राजस्थान विश्वविद्यालय के केन्द्रीय पुस्तकालय में केवल किताबें ही जारी एंव जमा की जावेगी वहां पर बैठकर पढ़ने के लिए 30 मार्च, 2020 तक बन्द रहेगी।
8. ऐसे छात्र/छात्रायें एवं अन्य जो अभी हाल ही में विदेश की यात्रा करके आये हैं, वे राज्य सरकार द्वारा निर्धारित संक्रामक अवधि में अपने घर पर ही रहें।
9. किसी को भी यदि ऐसा लगे कि उसे कोरोना के संक्रमण के लक्षण हैं, तुरन्त पास के स्वास्थ्य केन्द्र अथवा विश्वविद्यालय के हेल्थ सेन्टर में दिखावें तथा दूसरों से ना मिलें।
10. छात्रावासों में रहने वाले छात्र/छात्राओं को हिदायत दी जाती है कि वे एक जगह पर इकट्ठा नहीं होवे तथा मैस में भोजन भी समूह में न करें एवं आगामी निर्देशों के अनुसार छात्रावासों को बन्द करवाना पड़े तो उसकी सूचना अलग से जारी की जावेगी।
11. शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टॉफ को यह हिदायत दी जाती है कि आपस में एक मीटर की दूरी रखते हुए कार्य व्यवहार करें।
12. किसी को खांसी व बुखार आदि के लक्षण हो तो वह कार्यालय में मास्क लगाकर आवें।

सभी सम्बद्ध एवं संघटक महाविद्यालय उपरोक्त' दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से

(राजकुमार जैन)
उप–कुलसचिव (शैक्षणिक–द्वितीय)

क्रमांक: शैक्षणिक–द्वितीय/2020/ 32961–561 दिनांक: 14/03/20

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा, मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर।
2. विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा, राजभवन, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप–4), राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय जयपुर।
4. समस्त अधिष्ठाता/निदेशक/विभागाध्यक्ष/मुख्य कुलानुशासक/परीक्षा नियंत्रक, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
5. निदेशक, केन्द्रीय पुस्तकालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
6. प्राचार्य/समस्त संबद्ध एवं संघटक महाविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
7. जनसंपर्क अधिकारी, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
8. निदेशक, इन्फोनेट सेन्टर, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को भेजकर आग्रह है कि उक्त को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करावें।
9. वित्त नियंत्रक/समस्त उप–कुलसचिव/समस्त सहायक कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
10. निजी सचिव, माननीय कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
11. निजी सहायक, कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

Raj Jain 14/03/20

(राजकुमार जैन)
उप–कुलसचिव (शैक्षणिक–द्वितीय)